

**प्रेस-विज्ञप्ति**  
**थाना- जीयनपुर**

**शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोपी गिरफ्तार**

**पूर्व की घटना-** दिनांक 04.07.2024 को वादिनी मुकदमा द्वारा थाना स्थानीय पर प्रार्थना पत्र दिया गया कि अभियुक्त अनिल कुमार पुत्र रामदरश प्रजापति नुरुद्दीनपुर थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ ने वादिनी को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया और वादिनी का गर्भपात करवा दिया जिसके सम्बन्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 306/2024 धारा 89/69 भारतीय न्याय संहिता(बी.एन.एस)2023 बनाम अनिल कुमार पुत्र रामदरश प्रजापति नुरुद्दीनपुर थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ पंजीकृत कर विवेचना उ0नि0 रविन्द्र प्रताप यादव द्वारा सम्पादित की जा रही है।

**गिरफ्तारी का विवरण-** आज दिनांक 05.07.2024 को थाना प्रभारी सरायमीर मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त अनिल कुमार पुत्र रामदरश प्रजापति नुरुद्दीनपुर थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ को उसके घर ग्राम नुरुद्दीनपुर से समय करीब 09.50 बजे गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

**गिरफ्तार अभियुक्त-** अनिल कुमार पुत्र रामदरश प्रजापति नुरुद्दीनपुर थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 32 वर्ष।

**पंजीकृत अभियोग-** मु0अ0सं0- 306/2024 धारा 89/69 भारतीय न्याय संहिता(बी.एन.एस)2023थाना जीयनपुर आजमगढ़।

**आपराधिक इतिहास-** मुकदमा उपरोक्त

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-** उ0नि0 रविन्द्र प्रताप यादव, हे0का0 तेजबहादुर यादव, का0 मनीष खरवार, म0का0 अन्नू यादव थाना जीयनपुर आजमगढ़।

**थाना सरायमीर**

**किशोरी को भगाने वाला बाल अपचारी पुलिस अभिरक्षा में**

**पूर्व की घटना-** दिनांक 19.06.2024 को वादी मुकदमा द्वारा थाना स्थानीय पर तहरीर दिया कि दिनांक 07.06.2024 को वादी अपनी पत्नी के साथ किसी काम से बाहर गया था, उसी समय वादी की पुत्री को 01 बाल अपचारी बहला फुसलाकर भगा ले गया। जिसके सम्बन्ध में पूछने के लिये वादी बाल अपचारी के घर गया तो उसके घरवालों ने मारपीट कर जान से मारने की धमकी देते हुए भगा दिया जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 344/24 धारा 363/366/323/506 भादवि व बढ़ोत्तरी धारा 376 भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ किया गया।

**पुलिस अभिरक्षा में लिये जाने का विवरण-** आज दिनांक 05-07-2024 को उ0नि0 अखिलेश कुमार यादव मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित बाल अपचारी को पुना पोखर रेलवे क्रासिंग से समय करीब 10:55 बजे नियमानुसार पुलिस अभिरक्षा में लेकर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

**पुलिस अभिरक्षा में-** 01 बाल अपचारी

**पंजीकृत अभियोग-** मु0अ0सं0- 344/24 धारा 363, 366, 323, 506 भादवि0 व बढ़ोत्तरी धारा 376 भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट थाना सरायमीर आजमगढ़।

**पुलिस अभिरक्षा में लेने वाली टीम-** उ0नि0 अखिलेश कुमार यादव, का0 विक्रम यादव, का0 इग्लेश यादव थाना सरायमीर आजमगढ़।

**थाना- रानी की सराय**

**दहेज हत्या में वाञ्छित अभियुक्ता गिरफ्तार**

**पूर्व की घटना-** दिनांक 27.06.2024 को आवेदक यशवन्त यादव पुत्र विभूति यादव सा0 पिपरहा दूली चावर थाना बिलरियागंज जिला आजमगढ़ द्वारा प्रा0पत्र दिया गया कि वादी की बहन को उसके पति व ससुराल वालो द्वारा दहेज के लिए प्रताड़ित करते हुए दिनांक 27.06.2024 को जहर देकर मार दिया गया जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 186/24 धारा 498ए/304बी भादवि0 व 3/4 डीपी एक्ट बनाम 1. (पति) राज यादव उर्फ सागर पुत्र स्व0 रामनारायण यादव 2. (सास) उर्मिला देवी पत्नी स्व0 रामनारायण यादव 3.(जेठ),संजय पुत्र स्व0 रामनारायण यादव 4.(जेठ) मंज्जे पुत्र स्व0 रामनारायण 5. (जेठान) मीना पति संजय 6. (ननद) गीता पुत्री स्व0 रामनारायण यादव सा0 सेमरहा थाना रानी की सराय आजमगढ़ के विरुद्ध पंजीकृत किया गया।

➡ मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त राज यादव उर्फ सागर पुत्र स्व0 रामनारायण यादव को दिनांक 28.06.2024 को गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय/जेल भेजा जा चुका है।

**गिरफ्तारी का विवरण-** आज दिनांक 05-07-2024 को व0उ0नि0 गोपाल जी मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्ता उर्मिला देवी पत्नी स्व0 रामनारायण सा0 सेमरहा थाना रानी की सराय आजमगढ़ को सेमरहा अण्डर पास से समय करीब 10:45 बजे गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही किया जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0स0 186/24 धारा 498ए/304बी भादवि व 3/4 डीपी एक्ट

गिरफ्तार अभियुक्त- उर्मिला देवी पत्नी स्व0 रामनारायण नि0 सेमरहा थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 65 वर्षी

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम- व0उ0नि0 गोपाल जी, म0उ0नि0 यूटी श्वेता दुबे, का0 सज्जन सिंह थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़।

### थाना- कोतवाली

#### किशोरी को भगाने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना- दिनांक 12-06-5024 को वादी मुकदमा द्वारा थाना स्थानीय पर प्रा0पत्र दिया गया कि दिनांक 05.06.2024 को वादी की पुत्री फरीदाबाद से आजमगढ़ के लिए निकली परन्तु रास्ते में किसी ने अपहरण कर लिया है। वादी को पता चला है कि विश्वजीत कुमार उर्फ विशू पुत्र संतोष राम के द्वारा अपहरण कर लिया गया है। जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 355/24 धारा 363 भादवि0 पंजीकृत किया गया।

➡ अपहृता थाना कोतवाली पर दिनांक 14.06.2024 को स्वयं उपस्थित आयी।

➡ अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु उ0नि0 अतिक अहमद, कां0 मारतण्ड, कां0 नरेन्द्र तिवारी थाना कोतवाली आजमगढ़ की टीम गठित की गयी।

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण- आज दिनांक 05-07-2024 को उ0नि0 अतिक अहमद, मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त विश्वजीत कुमार पुत्र संतोष राम नि0 उकरौड़ा थाना कोतवाली आजमगढ़ उम्र 19 वर्ष को हाफिजपुर चौराहा से समय करीब 05.45 बजे नियमानुसार गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त- विश्वजीत कुमार पुत्र संतोष राम नि0 उकरौड़ा थाना कोतवाली आजमगढ़ उम्र 19 वर्षी

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0- 355/24 धारा 363/366 ipc थाना कोतवाली आजमगढ़।

आपराधिक इतिहास- मुकदम उपरोक्त

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम- उ0नि0 अतिक अहमद, कां0 मारतण्ड, कां0 नरेन्द्र तिवारी थाना कोतवाली आजमगढ़।

### थाना – अहरौला

#### युवती के साथ दुष्कर्म करने का आरोपी गिरफ्तार

पूर्व की घटना- दिनांक 24.06.2024 को वादिनी मुकदमा द्वारा थाना स्थानीय पर तहरीर दिया गया अभियुक्त रिकू पुत्र पंचराम वाहिनी को कई महिनो से परेशान करता था बार- बार फोन करता था जब वाहिनी ने विरोध करती तो अकेले मे पाकर वाहिनी को मार पीट देता था। वादिनी के माता पिता नहीं है, तीन भाई है। जब वादिनी ने अपने भाईयो से शिकायत की तो रिकू अन्य प्रकार से परेशान करने लगा। वादिनी को शादी का झांसा देकर गलत करने की कोशिश करने लगा माना करने पर जान से मारवा देने की धमकी दी। वादिनी मुकदमा की तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 306/2024 धारा 323, 506, 354(घ) भादवि0 पंजीकृत कर विवेचना उ0नि0 निशिकान्त द्वारा प्रारम्भ की गयी।

➡ मुकदमा उपरोक्त में धारा 504/376 भादवि0 की बढोत्तरी की गयी।

गिरफ्तारी का विवरण- आज दिनांक 05.07.2024 को उ0नि0 निशिकान्त मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से अभियुक्त रिकू पुत्र पंचराम निवासी सिपाह थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ को अहरौला बाई पास नदी(तमसा) पुल से समय करीब 12.45 बजे गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0- 306/24 धारा 323, 506/श, 354(घ), 504, 376 भादवि0 थाना अहरौला जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त- रिकू पुत्र पंचराम निवासी सिपाह थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 28 वर्षी

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम- उ0नि0 निशिकान्त, हे0का0 सर्वेश यादव, का0 नीरज कुमार गौड़ थाना अहरौला जनपद आजमगढ़।